

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा  
मध्यप्रदेश

क्रमांक  
प्रति,

/2/बजट/2018

भोपाल, दिनांक मार्च-2018

आयुक्त,  
कोष एवं लेखा संचालनालय,  
पर्यावास भवन, भोपाल ।

विषय- चिकित्सा शिक्षा विभाग को वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजस्व मद अन्तर्गत संचालित योजनओं में वित्त विभाग से छूट बाबत।

संदर्भ- मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्र. 161/18-55 -2 दिनांक 16.03.2018

\*\*\*

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में अनुलेख है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्र. क्र. 161/18-55 -2 दिनांक 16.03.2018 की मूलतः प्रति संलग्न है, जिसमें विभिन्न योजना एवं उद्देश्य शीर्ष अन्तर्गत वित्त विभाग के मित्तव्यता आदेश क्रमांक/ओएस/2018/डीएमसी/ब-7/चार दिनांक 29.12.2017 तथा दिनांक 02.01.2018 में लगाये गये प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है। कृपया छूट प्रदाय करने का कष्ट करें।

संलग्न : एक

पृ.क्रमांक 113/2/बजट/2018  
प्रतिलिपि :

1. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर।
2. संबंधित कोषालय अधिकारी, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर।

संयुक्त संचालक, (वित्त)  
चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश  
भोपाल, दिनांक 6 मार्च-2018

संयुक्त संचालक, (वित्त)  
चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश

**मध्यप्रदेश शासन**  
**चिकित्सा शिक्षा विभाग**  
**मंत्रालय**

क्रमांक /161/18-55-2  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / मार्च / 2018

आयुक्त  
कोष एवं लेखा  
पर्यावास भवन  
भोपाल, म.प्र.

विषय :- चिकित्सा शिक्षा विभाग को वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजस्व मद अन्तर्गत संचालित योजनाओं में वित्त विभाग से छूट बावत ।  
संदर्भ :- 1. चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रस्ताव दिनांक 5/3/2018  
2. वित्त विभाग का वर्ष 2017-18 में मितव्यता के उपाय आदेश क्रमांक/OS/ 2018/ डी.एम.सी/ब-7/चार दिनांक 29/12/2017 तथा 02/01/2018

--00--

चिकित्सा शिक्षा विभाग के संदर्भित प्रस्ताव अनुसार चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजस्व मद अन्तर्गत संचालित निम्न योजनाओं में वित्त विभाग के संदर्भित आदेशों से लगाये गये प्रतिबंध से कुल राशि रू. 2884.55 लाख के आहरण करने की छूट प्रदान की जाती है ।

स. क्र.	योजना क्र.	उद्देश्य शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रावधानित राशि	वर्तमान में उपलब्ध राशि 30% स्थान में	छूट की स्वीकृत राशि 30 प्रतिशत के अतिरिक्त
1	2	3	4	5	6
1	1353-चि. महा. से सम्बद्ध चिकि.	31-005-सुरक्षा व्यवस्था	985.00	254.96	287.09
		31-006-सफाई व्यवस्था	972.80	285.71	137.59
		34-001-मटेरियल का क्रय	700.00	12.13	127.94
		34-002-दवाईयां	6100.00	102.21	1030.10
		34-006-खपने वाला सामान	850.50	80.43	347.86
		34-009-अन्य	180.00	1.22	41.09
		51-अन्य प्रभार	29.00	1.51	4.48
2	7892-चि. गारंटी	34-002-दवाईयां	2500.00	251.08	248.24
3	6974-सागर चिकित्सा	31-005-सुरक्षा व्यवस्था	50.00	7.64	11.82

	महाविद्यालय	31-006-सफाई व्यवस्था	156.00	46.80	60.17
		33-002-मशीन एवं उपकरण का अनुरक्षण	225.00	67.50	156.48
		34-001-मटेरियल का क्रय	70.00	2.92	16.40
		34-002-दवाईयां	450.00	3.29	217.40
		34-006-खपने वाला सामान	200.00	7.19	35.35
		34-009-अन्य	8.00	2.32	4.45
4	4968-चिकित्सा महाविद्यालय	22-004-पुस्तकें	155.86	-	106.42
		33-002-मशीन एवं उपकरण का अनुरक्षण	15.00	4.50	4.09
		34-006-खपने वाला सामान	300.00	15.82	46.16
		34-009-अन्य	3.50	0.37	1.42
		योग	13950.66		2884.55

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की टीप यू.ओ. क्रमांक 197/R/225/B6/18 दिनांक 15/03/2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

(शर्मिला ठाकुर)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 16 / मार्च / 2018

पृ. क्रमांक 563R-449/18/SS-2  
1464/18-55-2

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
2. महालेखाकार, ग्वालियर लेखा एवं हकदारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा की ओर उनके प्रस्ताव दिनांक 05/03/2018 के संबंध में सूचनार्थ।
4. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल/ ग्वालियर/रीवा/सागर/जबलपुर/इन्दौर की ओर पालनार्थ प्रेषित कर आवंटन का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु।
5. संभागीय आयुक्त भोपाल/ ग्वालियर/रीवा/सागर/जबलपुर/इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
6. क्षेत्रालय अधिकारी भोपाल/ ग्वालियर/रीवा/सागर/जबलपुर/इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
7. संयुक्त संचालक (वित्त), चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग